न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

**भीखसिंह पुत्र मगसिंह राजपूत निवासी गांव चांदरख, तहसील औसियां व अन्य** बनाम **उपखण्ड अधिकारी औसियां व अन्य**

किस्म मुकदमा **235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** नम्बर **46** सन् **2019**

| तारीख हुक्म | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19.03.20 | आज पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता श्री नाहरसिंह सोलंकी उपस्थित। अप्रार्थी–02 ता 05 के अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से श्री भवानीसिंह भलासरिया उपस्थित।<br><br>प्रार्थना पत्र में संक्षित वाक्यात इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी औसियां में एक राजस्व प्रकरण संख्या 210/2019 बअनवान उम्मेदाराम बनाम भीखसिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचाराधीन है तथा उपखण्ड अधिकारी औसियां से प्रार्थीगण भीखसिंह वगैरा को न्याय नहीं मिलने के कारण अन्यत्र न्यायालय को सुनवाई के लिए स्थानान्तरित करने के लिए यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मंगवाई गई। अप्रार्थीपक्ष की ओर से जबाब प्रस्तुत होने एवं पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 17.03.2020 को उभयपक्ष की बहस सुनी गई।<br><br>प्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 2 ता 5 की खातेदारी भूमि ग्राम चांदरख में पास पास आई हुई है तथा रास्ते के लिए उम्मेदाराम वगैरा की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी औसियां के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया, जिस पर सुनवाई के लिए नजदीक नजदीक पेशियां दी जा रही है तथा पीठासीन अधिकारी उम्मेदाराम वगैरा से मिलीभगत कर येन–प्रकेरण विधि विरूद्ध निर्णय करने पर आमादा है अतः प्रार्थीगण को न्याय मिलने की कतई संभावना नहीं<br><br>लगातार... | |

है। बहस में यह भी कहा कि जबरदस्ती कानून के विपरीत प्रार्थी व उसके भाईयों की जमीन खराब करने के लिए एवं जमीन के दो टुकड़े करवाने के लिए विधि विरूद्ध रास्ता की मांग की जा रही है। बहस में यह भी बतलाया कि अप्रार्थीगण उम्मेदाराम वगैरा भारी राजनैतिक प्रभाव से निष्पक्ष सुनवाई नहीं होने दे रहा है तथा अक्सर पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में बैठे रहते है तथा आर. आई. व पटवारी राजस्व कर्मचारी भी कहते है कि हमारे ऊपर राजनैतिक दबाव है तथा हम रास्ता निकाल कर तरमीम कर देगें। बहस के अन्त में उपखण्ड अधिकारी औसियां न्यायालय के समक्ष लम्बित राजस्व प्रकरण संख्या 210/2019 बअनवान उम्मेदाराम बनाम भीखसिंह वगैरा को सुनवाई के लिए अन्य न्यायालय को स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी संख्या–2 से 5 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थीगण उम्मेदाराम वगैरा की ओर से नये रास्ते हेतु उपखण्ड अधिकारी औसियां के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया, जिस पर न्यायालय ने मौका रिपोर्ट तलब की, मौका रिपोर्ट आने के पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को लम्बित करने के उदेश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थीगण किसी राजनैतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते है, न पीठासीन अधिकारी से कोई संबंध है, न निजी रूप से जानते है अतः प्रार्थीपक्ष का प्रार्थना पत्र में जो आरोप लगाये गये, वो पूर्णतया निराधार है। ग्राम चांदरख के राजस्व मामलों के सुनवाई का क्षेत्राधिकार सहायक कलक्टर औसियों को ही प्राप्त है तथा प्रार्थना पत्र को स्थानान्तरण करने का आदेश दिया गया तो अप्रार्थी संख्या–2 से 5 को नुक्सान होगा तथा यह प्रार्थना पत्र लम्बे समय विचाराधीन होगा। अन्त में प्रार्थना पत्र निरस्त कराने एवं सहायक कलक्टर औसियां द्वारा निस्तारित करने का आदेश दिया जाने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थीपक्ष 6, 7 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि उपखण्ड अधिकारी औसियां से न्याय मिलने की संभावना नहीं है तथा अन्य पीठासीन अधिकारी से सुनवाई कराना चाहते है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी औसियां (पीठासीन

लगातार...

अधिकारी) से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 10.12.2020 का भी अध्ययन किया। प्रार्थीपक्ष का मुख्य कथन है कि उपखण्ड अधिकारी औसियां न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राजनैतिक दबाव के कारण अप्रार्थीगण/प्रार्थीगण उम्मेदाराम वगैरा से मिलीभगत कर बिना विधिवत सुनवाई किये ही प्रकरण का निस्तारण करना चाहते है तथा उनसे न्याय मिलने की संभावना नहीं है, यद्यपि पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध किसी पक्षकार से मिलीभगति होने या उन पर राजनैतिक दबाव होने बाबत् कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं हुए है, परन्तु किसी पीठासीन अधिकारी के प्रति अविश्वास व्यक्त होने पर किसी प्रकरण को आगे की सुनवाई उसी अधिकार के पास रहने से पक्षकार को न्याय नहीं मिलने की हमेशा संशय रहता है ऐसा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर ने भी कई प्रकरणों में अभिनिर्धारित किया गया। अतः न्यायहित में प्रार्थीपक्ष का प्रार्थना पत्र अ/धा 235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी औसियां न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रकरण संख्या 210/2019 बअनवान उम्मेदाराम बनाम भीखसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को सुनवाई के लिए उपखण्ड अधिकारी लोहावट न्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी लोहावट को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिक प्रावधानों के तहत शीघ्र निस्तारण करने की कार्यवाही करे। उभय पक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के समक्ष दिनांक 08.04.2020 को उपस्थित रहे। आदेश की प्रति संबंधित अधीनस्थ न्यायालय को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो।